International Journal of Advanced Educational Research
ISSN: 2455-6157
Impact Factor: RJIF 5.12
www.educationjournal.org
Volume 2; Issue 6; November 2017; Page No. 383-384

भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया

कुँवर भास्कर परिहार
एम.ए. राजनीति विज्ञान, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत।

प्रस्तावना

संविधान वह लिखित दस्तावेज है, जिसके आधार पर किसी देश की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन होता है। संविधान की प्रासंगिकता बनाये रखने के लिये यह आवश्यक होता है कि दलित परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जाय। इसी के अन्तर्गत भारतीय संविधान में भी संशोधन की प्रक्रिया को अपनाकर उसे गतिशीलता प्रदान की गई है।

विगत कुछ समय से देश में अक्सर न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के मध्य विवाद/टकराव की स्थिति बनी रहती है। ये विवाद प्रायः इनके अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण से सम्बन्धित होते हैं। एक तरफ जहां कार्यपालिका वर्तमान की आवश्यकता का हवाला देकर संविधान में संशोधन की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ न्यायपालिका।

इन्हें संवैधानिक उपबन्धों के प्रतिकूल बताकर अमान्य घोषित कर देती है, जैसा कि उसने 99वें संविधान संशोधन अधिनियम (न्यायिक नियुक्ति आयेाग) के सन्दर्भ में किया। इस प्ररिप्रेक्ष्य में यह जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि संविधान संशोधन का तात्पर्य क्या है, यह कैसे होता है या इसकी प्रक्रिया क्या है?

क्यों जरूरी है संविधान संशोधन?

प्रत्येक संविधान की प्रासंगिकता को बनाये रखने के लिये समय के अनुसार उसमें संशोधन आवश्यक होता है। भारतीय संविधान में भी परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप उसे संशोधित और व्यवस्थित करने की व्यवस्था है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया में कठोरता व लचीलेपन का समन्वय है।

भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया न तो संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति कठोर है और न ही ब्रिटेन की भांति लचीली, बल्कि हमारे संविधान संशोधन की प्रक्रिया में कठोरता व लचीलेपन का समन्वय है।

संविधान के भाग–22 के अन्तर्गत अनुच्छेद–368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें यह उल्लेखित है कि संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के उपबन्ध का परिवर्द्धन, परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचा की व्यवस्थाओं या उपबन्धों को संशोधित नहीं कर सकती है। (केशवानन्द भारती वाद, 1973)

संशोधन की प्रक्रिया

संविधान के अनुच्छेद–368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, जो निम्न प्रकार है–

- संविधान के संशोधन का आरम्भ संसद के किसी भी सदन (लोकसभा/राज्यसभा) में विधेयक पुरःस्थापित करके ही किया जा सकेगा, लेकिन राज्य विधानमण्डल में नहीं।
- विधेयक को किसी मन्त्री या गैर–सरकारी सदस्य द्वारा पुरःस्थापित किया जा सकता है, इसके लिये राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है।
- विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है। दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान इस विधेयक को पारित कराने के सम्बन्ध में नहीं है।
- यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था में संशोधन के मुद्दे पर हो तो इसे आधे राज्यों के विधानमण्डलों से भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए।
- संसद के दोनों सदनों से पास होने एवं राज्य विधानमण्डलों की अनुमति के बाद जहां आवश्यक हो, फिर राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिये भेजा जाता है।
- राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिये बाध्य होता है, वह न तो विधेयक को अपने पास रख सकता है और न ही संसद के पास पुनर्विचार के लिये भेज सकता है।
- राष्ट्रपति की अनुमति के बाद यह विधेयक एक संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है और संविधान में अधिनियम की तरह इसका समवेश कर दिया जाता है।

संशोधन के प्रकार

संविधान का अनुच्छेद–368 दो प्रकार के संशोधनों की बात करता है–पहला संसद के विशेष बहुमत द्वारा तथा दूसरा, आधे राज्यों द्वारा या साधारण बहुमत के माध्यम से अनुमोदन द्वारा, लेकिन इसके अतिरिक्त संविधान के कुछ अन्य उपबन्ध संसद के साधारण बहुमत से ही संशोधित हो सकते हैं, यह बहुमत प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मतदान (साधारण विधायी प्रक्रिया) द्वारा होता है। यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के संशोधन अनुच्छेद–368 के उद्देश्यें के अन्तर्गत नहीं होते। इस प्रकार संविधान में संशोधन तीन प्रकार से होता है।

- संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन
- संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन
- संसद के विशेष बहुमत एवं आधे या उससे अधिक राज्यों के विधानमण्डलों के अनुमोदन द्वारा

साधारण बहुमत द्वारा संशोधन

संविधान के अनेक उपबन्धों में संशोधन केवल संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से किया जा सकता है। इस प्रकार संशोधन अनुच्छेद–368 के अन्तर्गत नहीं आते हैं। इस श्रेणी के कुछ प्रमुख विषय निम्न प्रकार है–

- नए राज्यों का प्रवेश या गठन
- नये राज्यों का निर्माण और उसके क्षेत्र, सीमाओं या सम्बन्धित राज्यों के नामों का परिवर्तन
- राज्य विधानपरिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति
- दूसरी अनुसूची–राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष तथा न्यायाधीश आदि के लिये परिलब्धियां, भत्ते तथा विशेषाधिकार आदि।
- संसद में गणमूर्ति
- संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते
- संसद में प्रक्रिया नियम
- संसद, इसके सदस्यों और इसकी समितियों को विशेषाधिकार
- संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग

- सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र को ज्यादा महत्व प्रदान करना
- राजभाषा का प्रयोग
- नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति संसद एवं राज्य विधानमण्डल के लिये निर्वाचन
- निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण
- पांचवीं अनुसूची–अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातीयों का प्रशासन
- छठी अनुसूची–जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन
- केन्द्रशासित प्रदेश

विशेष बहुमत द्वारा संशोधन

संविधान के अधिकतर उपबन्धों संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है अर्थात् प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत तथा प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो–तिहाई बहुमत।

विशेष बहुमत की आवश्यकता विधेयक के तीसरे पठन–चरण पर केवल मतदान के लिये आवश्यक होती है। इस संशोधन श्रेणी के विषय निम्न है।

- मूल अधिकार
- राज्य के नीति–निदेशक तत्व
- वे सभी उपबन्ध, जो प्रथम एवं तृतीय श्रेणियों से सम्बन्धित नहीं है।

विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा संशोधन

इसके अन्तर्गत संघीय ढांचे से सम्बन्धित संविधान के उपबन्धों को संशोधित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिये यह भी आवश्यक है कि कम–से–कम आधे से अधिक राज्य विधानमण्डलों में साधारण बहुमत के माध्यम से उनको अनुमति मिली हो। हालांकि विधेयक को स्वीकृति देने के लिये राज्यों के लिये कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं है। इस श्रेणी के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय आते हैं–

- राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया
- केन्द्रीय कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार
- सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की अधिकारिता
- केन्द्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन
- सांतवीं अनुसूची से सम्बद्ध कोई विषय
- संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व
- संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिये प्रक्रिया (इसके अन्तर्गत अनुच्छेद–369 का भी संशोधन शामिल है)

मूल अधिकार एवं संविधान संशोधन

इस प्रश्न पर सर्वप्रथम शंकरी प्रसाद मामले (1952) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद को अनुच्छेद–368 के तहत संशोधन की शक्ति में मूल अधिकारों का भी संशोधन शामिल है, लेकिन गोलकनाथ मामले (1967) में सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व के अपने फैसले को पलटते हुए कहा कि मूल अधिकार श्रेष्ठ और प्रतिरक्षित है। अतः संसद द्वारा किसी भी मूल अधिकार को न तो कम किया जा सकता है और न ही हटाया जा सकता है।

वर्ष 1973 में केशवानन्द भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के गोलकनाथ मामले में दिये गये निर्णय को परिवर्तित नहीं कर सकती, इसका तात्पर्य है कि संसद संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा बन चुके मूल अधिकारों को संसद न कम कर सकती है और न हटा सकती है।

हालांकि इसके बाद पुनः संसद ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के द्वारा न्यायपालिका के सिद्धान्त पर प्रतिक्रिया देते हुए घोषणा की कि संसद की ठोस शक्तियों की कोई सीमा नहीं है और न हटा सकती है।

यद्यपि मिनर्वा मिल्स मामले (1980) में सर्वोच्च न्यायालय ने इस व्यवस्था को अवैध बताया, जिसमें संविधान के मूल ढांचे को न्यायिक समीक्षा से बाहर माना गया था। पुनः वामन राव मामले (1981) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल ढांचे की बात को दोहराया गया और स्पष्ट किया गया कि संवैधानिक संशोधन की विषय वस्तु 24 अप्रैल, 1973 (केशवानन्द भारती मामले के फैसले की तिथि) के बाद से प्रभावी होगी।

References

1. Miglani, Dr. Deepak. Constitution of India: A 'Bag of Borrowings'. Retrieved, 2014.
2. Baruah, Aparijita. Preamble of the Constitution of India: An Insight and Comparison with Other Constitutions. New Delhi: Deep & Deep, 2007, 177
3. Austin, Granville. The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation (2nd ed.). Oxford University Press, 1999.
4. Baruah, Aparajita. Preamble of the Constitution of India: An Insight & Comparison. Eastern Book Co, 2007. ISBN 978-81-7629-996-1.
5. Ghosh, Pratap Kumar. The Constitution of India: How it Has Been Framed. World Press, 1966.
6. Swaminathan, Shivprasad 26 January India's benign constitutional revolution. The Hindu: opinion. Retrieved, 2013.
7. National Commission to Review the Working of the Article 356 of the constitution. Lawmin.nic.in. Retrieved, 2016.
8. Swami, Praveen. Protecting secularism and federal fair play. Frontline. 1997-2015; 14(22):1-14.
9. Lakshmikanth M. Indian Polity for Civil Services Examinations, 3rd ed., New Delhi: Tata McGraw Hill Education Private Limited, 2011, 2(3).
10. Bakshi PM. Constitution of India, 10/e. Universal Law Publishing Company Limited. ISBN 978-81-7534-840-0. 2010-2012, 48.
11. Cabinet Ministers (as on 26.05.2014). Cabsec.nic.in. Retrieved on 6 December. Archived 27 May at the Wayback Machine, 2013-2014.
12. Sajjan Singh V. State of Rajasthan AIR, 1965, 845.
13. Golak Nath V. State of Punjab, 1967; 2(762).
14. Article on Basic Structure Doctrine and its Widening Horizons by V.R.Jayadevan, published in CULR. 2003; 27:333.
15. Seervai HM.'Constitutional Law of India.
16. Shukla VN. Constitution of India' 10th edition
17. Hénaff, Marcel, Strong, Tracy B. Public space and democracy. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2001. ISBN 9780816633883.
18. Scruton, Roger A Point of View: Is democracy overrated? BBC News. BBC, 2013.